

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
DEPARTMENT OF EX-SERVICEMEN WELFARE
LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 449
TO BE ANSWERED ON 03rd February, 2023

ONE RANK ONE PENSION

449. SHRI KOMATI REDDY VENKAT REDDY:
SHRI KANUMURU RAGHU RAMA KRISHNA RAJU:
SHRI SUBBARAYAN K.:
SHRI MANNE SRINIVAS REDDY:

Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

- (a) whether the Government has approved and implemented a pension revision for retirees from the Armed Forces and their family members under the One Rank One Pension (OROP) Scheme;
- (b) if so, the details thereof along with the progress made in this regard so far and if not, the reasons therefor;
- (c) whether One Rank One Pension (OROP) for nearly 2.5 million army pensioners has not been implemented by the Government till date despite the direction of Supreme Court in March, 2022 to fix their pensions and pay the amount by 15th June, 2022;
- (d) if so, the details thereof alongwith the timeline by which they are expected to be paid their due pensions; and
- (e) if not, the reasons therefor?

A N S W E R

MINISTER OF STATE
IN THE MINISTRY OF DEFENCE

(SHRI AJAY BHATT)

(a) & (b): The Government had issued orders on 07.11.2015 for implementation of One Rank One Pension (OROP) for the Armed Forces pensioners/family pensioners with effect from 01.07.2014. For about eight years, starting from 01.07.2014, the total expenditure works out to approximately Rs. 57000 crore @ Rs. 7123/- crore per year.

(c) to (e): Government has issued order for revision of pension for the Armed Forces pensioners/family pensioners w.e.f. 01.07.2019 under OROP vide MoD letter dated 04.01.2023. Detailed instructions along with pension tables for each rank and each category under OROP have been issued on 20.01.2023. Necessary instructions have been issued for payment of revised pension to the Armed Forces pensioners/family pensioners under OROP w.e.f. 01.07.2019.

भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 449
03 फरवरी, 2023 को उत्तर के लिए

वन रैंक वन पेंशन

449. श्री कोमती रेड्डी वेंकट रेड्डी:

श्री रघु राम कृष्ण राजू:

श्री के. सुब्बारायण:

श्री मन्ने श्रीनिवास रेड्डी:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सरकार ने वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) योजना के अंतर्गत सशस्त्र सेनाओं से सेवानिवृत्त लोगों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए पेंशन संशोधन को अनुमोदित और कार्यान्वित किया है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ग) क्या सरकार द्वारा आज की तारीख तक मार्च, 2022 में उच्चतम न्यायालय द्वारा उनकी पेंशन निर्धारित करने और 15 जून, 2022 तक राशि का भुगतान करने के आदेश के बावजूद लगभग 25 लाख सैन्य पेंशनभोगियों के लिए वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) को लागू नहीं किया गया है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन्हें पेंशन का भुगतान कब तक किए जाने की संभावना है; और
- (ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय भट्ट)

(क) और (ख) सरकार ने सशस्त्र सेना के पेंशनभोगियों/परिवार के सदस्यों के लिए दिनांक 01.07.2014 से वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) के कार्यान्वयन के लिए दिनांक 07.11.2015 को आदेश जारी किए । दिनांक 01.07.2014 से लगभग आठ वर्षों के लिए कुल व्यय प्रति वर्ष 7123 करोड़ रू. की दर पर लगभग 57000 करोड़ रू. हुआ ।

(ग) से (घ) सरकार ने रक्षा मंत्रालय के दिनांक 04.01.2023 के पत्र के माफत ओआरओपी के अंतर्गत दिनांक 01.07.2019 से सशस्त्र सेना के पेंशनभोगियों/परिवार पेंशनभोगियों के लिए पेंशन के संशोधन का आदेश जारी किया है । दिनांक 20.01.2023 को ओआरओपी के तहत प्रत्येक रैंक और प्रत्येक श्रेणी के लिए पेंशन तालिकाओं के साथ ब्यौरेवार निर्देश जारी किए गए हैं। सशस्त्र सेना के पेंशनभोगियों/परिवार पेंशनभोगियों को दिनांक 01.07.2019 से ओआरओपी के अंतर्गत संशोधित पेंशन के भुगतान के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं ।
